न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या –. 01 / 2023 – निगरानी

समस्त ग्रामवासी जवानपुरा पंचायत टोकरवाड पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा जरिये –

1. चम्पालाल पुत्र कजौड जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरडा
2. घासीराम पुत्र अम्बालाल जाट निवासी जवानपुरा
3. हेमराज पुत्र घासीराम जाट निवासी जवानपुरा
4. माधु पुत्र हरदेव जाट निवासी जवानपुरा
5. उगमा पुत्र घीसा जाट निवासी जवानपुरा
6. श्रवण पुत्र भैरू जाट निवासी जवानपुरा
7. घासी पुत्र पन्ना जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती रामूदेवी पत्नी पुषालाल जाट निवासी अमरपुरा तहसील हुरडा
2. ग्राम पंचायत जाल खेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जाल खेडा पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधि0, विरूद्व विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी दिनांक 05.07.2022 की मिसल संख्या 154 पटटा संख्या 22 को निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री कौशल कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से
3. श्री रमेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का देवरिया तहसील हुरडा की सरहद में आराजी संख्या 108 रकबा 3.04 बीघा भूमि गे.मु. बाडा बिलानाम गैर काबिल काश्त थी जिसमें से से 1.16 बीघा आबादी हेतु सेट अपार्ट कर दी गयी। शेष आराजी में से 12 बिस्वा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवानपुरा को ग्राम पंचायत उंखलिया के द्वारा

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पटटा पटटा जारी करने में किसी प्रकार पंचायती राज नियमों की पालना नही की गयी। विपक्षी संख्या 01 का पटटेशुदा भू भाग पर कभी कब्जा नही रहा है। विपक्षी संख्या 01 ग्राम जवानपुरा के निवासी भी नही हैं। पटटा जारी किया गया उसकी कोई पत्रावली कायम नही की गयी तथा न ही नियम 144 से लगायत 157 तक की कोई पालना की गयी है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा न तो पत्रावली शुल्क जमा कराया गया हैं एवं न ही नक्शा एवं निरीक्षण शुल्क जमा कराया है। नियमानुसार पटटा जारी होने से पूर्व तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करनी होती हैं, किन्तु उक्त प्रकरण में तीन वार्ड पंचों द्वारा कोई मौका रिपोर्ट पेश नही की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति सूचना पत्र जारी किया गया। निगराकार ग्राम जवानपुरा के निवासी होकर ग्राम जवानपुरा के विकास एवं उत्थान के लिए ही इस निगरानी को पेश किया जा रहा हैं। प्रश्नगत पटटे की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लेने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटे के संबंध में कोई रिकार्ड नही होना बताया गया। इससे जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटा पूर्णतया नियमों के विपरीत जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवैध पटटे को पंजीकृत करवाया गया, हालांकि पंजीकृत करवाने मात्र से पटटा वैध नही हो जाता, क्योंकि मूल पटट नियमों के विपरीत हैं। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 के नाम मिसल संख्या 154 के जरिये जो पटटा संख्या 22 जारी किया गया हैं उसे अपास्त किया जावे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 को उक्त प्रश्नगत आराजी पर लम्बे अरसे से कब्जा होने से एवं प्रश्नगत आराजी ग्राम पंचायत जालखेडा की आबादी क्षैत्र में होने से गैर निगराकार संख्या 01 के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 154 दिनांक 21.03.2022 कायम कर, मौका निरीक्षण करा एवं नियमानुसार शुल्क जमा करके तथा सरपंच ग्राम पंचायत जालखेडा एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार पंटटा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक 05.04.2022 को सूचना पत्र जारी कर वार्ड पंचों के निर्देशन में मौका रिपोर्ट बनायी जाकर नियमानुसार पटटा जारी किया गया। प्रकरण

२५

तदनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक /प्रार्थी को पुश्तैनी मकान का पटटा, पटटा शुल्क, विकास शुल्क एवं डी एल सी दर से राशि पंचायत कोष में जमा करवा प्रश्नगत पटटा जारी किया गया हैं, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी निगरानी मेमों एवं बहस में व्यक्त किया किया है कि प्रश्नगत पटटा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत किन्हीं भी नियमों की पालना नही की जाकर विधि विरूद्व पटटा जारी किया गया हैं। पटटे जारी करने से पूर्व आपत्ति जारी नही की गयी, मौका निरीक्षण नही किया गया इत्यादि। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मिसल पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करके नियमानुसार आपत्ति पत्र जारी कर एवं तीन वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवारकर एवं पटटा क्षेत्रफल 3450 वर्गफीट होने से नियमानुसार डी एल सी रेट से राशि जमा करवाकर विधि अनुसार पटटा जारी किया जाना इंगित होता हैं। इस प्रकार निगराकार द्वारा उठाये गये तथ्य निराधार एवं कोर कल्पित प्रतीत होते हैं। निगराकार ने निगरानी मेमों में स्वयं को ग्रामवासी जवानपुरा पंचायत टोकरवाड को निवासी होना बताया हैं, जबकि प्रश्नगत पटटा राजस्व ग्राम अमरपुरा पंचायत जालखेडा का हैं। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पटटे पर निगराकारगणों की कोई लोकस स्टैण्डाई नही बनती हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि कार्यालय जिला कलक्टर (सर्तकता) भीलवाडा के पत्रांक/एफ. 41-1(1)(अ)01/सतर्कता/10/बैठक/11/2022 दिनांक 07.12.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार बैठक दिनांक 20.10.2022 में प्रदत्त निर्देश के कम में जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति हुरडा द्वारा बैठक समिति को तथ्यों से अवगत कराया जिसमें ग्राम पंचायत जालखेडा के द्वारा वर्ष 2021-22 में जारी पटटे आराजी नंबर 108/1 गे.मु आबादी की सीमा के अन्दर पाये जाकर वैध हैं। इस प्रकार निगराकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय को जो शिकायत दर्ज करायी वह भी निराधार पायी गयी।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगराकारगण ने निगरानी मेमों के साथ मात्र गैर निगराकार संख्या 01 के नाम जारीशुदा पटटे की फोटोप्रति संलग्न की हैं। ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे जाहिर हो कि उन्होनें पंचायत से मिसल की नकल लेने हेतु कोई

आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र पेश किया हो। न ही निगराकारगणों द्वारा जिला कलक्टर सतर्कता समिति की बैठक में सही पाये गये पटटों के खण्डन में कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश किये गये। निगराकारगणों का कथन की प्रश्नगत पटटा भूमि पर गैर निगराकार संख्या 01 का कब्जा नही हैं, इस बाबत् कोई दस्तावेजात पेश नही किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायतं से मूल मिसल पत्रावली तलब किये जाने पर मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकारगणों द्वारा पेश नही किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन मे कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 154 दिनांक 05.07.2022 के जरिये पटटा संख्या 22 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जालखेडा द्वारा मिसल संख्या 154 दिनांकित 05.07.2022 के जरिये पटटा संख्या 22 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत जालखेडा पंचायत समिति हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)